# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| तहसीलदार कुचामन सिटी | | नानूराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी रसाल वगैराह |

राजस्व प्रार्थना–पत्र = प्रार्थना–पत्र बाबत् रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

**राजस्व प्रार्थना–पत्र नम्बर = 38 /2025** **GCMS No.2025/ 240**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.02.2025 | राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिए तहसीलदार कुचामन सिटी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 आरएलआर एक्ट 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। ग्राम रसाल के खसरा नम्बर 397, 398, 400, 401 में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेज चालू नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी परिशिष्ट ''ए'' एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा की गई। सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् में से जा रहा चालू रास्ता सार्वजनिक हितार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। जिसको राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br><br>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न पटवारी रिपोर्ट परिशिष्ट ''ए'' के अनुसार खसरा नम्बरान् की भूमि में से राजस्व रेकर्ड में रास्ता अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। रास्ते में अंकन होने वाली भूमि संबंधित खातेदारों के खाते में दर्ज रहेगी। पटवारी रिपोर्ट परिशिष्ट ''ए'' व मौका पर्चा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कुचामन सिटी ( डीडवाना–कुचामन )<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Sunil Kumar<br>Date: 2025.07.07 12:44:55 IST<br>Reason: SelfAttested | |